## संघ लोक सेवा आयोग

## भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017

## उम्मीदवारों के लिए विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश

- 1. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2017 की योजना के अंतर्गत प्रधान परीक्षा **3 दिसंबर, 2017** से आयोजित की जाएगी। परीक्षा की विस्तृत समय-सारणी, ई-प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी।
  - 2. प्रधान परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर (गुवाहाटी), हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला। किसी केन्द्र पर उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होने की स्थिति में समन्वित तथा सुरक्षित कार्यतन्त्र के हित में आयोग के लिए उस केन्द्र पर परीक्षा का संचालन करना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में, आयोग, उम्मीदवारों को निकटतम केन्द्र आबंटित कर सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार आदि पर विचार नहीं दिया जाएगा।

- 3. प्रधान परीक्षा आयोजित करने के संबंध में यथाउल्लिखित उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवारों को उनकी पसन्द के केन्द्र आबंटित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा फिर भी परिस्थितिवश आयोग अपने विवेकानुसार किसी उम्मीदवार को कोई भिन्न या आरंभ किया गया नया केन्द्र आबंटित कर सकता है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस बारे में उम्मीदवारों के किसी भी पत्राचार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 4. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व सभी उम्मीदवार नीचे उल्लिखित अपने संगत मूल दस्तावेजों को 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन भी कर लें और उसे अधिकतम 2 एमबी तक की एक ही पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल, पासवर्ड के जिरए सुरक्षित न हो और इस फाइल को डीएएफ को ऑनलाइन सब्मिट करते समय ही अपलोड किया जाना चाहिए।
  - (I) गृह राज्य संबंधी घोषणा-पत्र
  - (II) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
  - (III) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2017 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
  - (IV) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
  - (V) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबद्ध न होने के समर्थन में संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति। यह परिवचन परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
  - (VI) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए और हस्ताक्षर किए गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
  - (VII) आय् में छूट के दावे, जहां कहीं लागू हो, के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
  - (VIII) शारीरिक रूप से अक्षम होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया

जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें और कोई भी दस्तावेज डाक द्वारा न भेजें।

- 5. उम्मीदवार, विस्तृत आवेदन पत्र भरने और संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ उसे ऑनलाइन जमा करने के लिए वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> का प्रयोग करें।
- 6. उम्मीदवार, अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ आयु के प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म की तारीख उल्लिखित है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करेंगे। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है, जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। ऐसे उम्मीदवार, जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों, वे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा इस प्रकार के अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में ''मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं होता है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया, तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से संबंधित प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

#### 7. श्ल्क

भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को (महिला/अ.जा./अ.जा./शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त है) शुल्क के रूप में 200/- रुपए (केवल दो सौ रुपए) का भुगतान, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा कराके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग स्विधा का प्रयोग करके अथवा वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

ऐसे उम्मीदवार जो भुगतान के लिए "नकद भुगतान" प्रणाली का चयन करते हैं, वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। "नकद भुगतान प्रणाली" का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 19.09.2017 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार, जो मान्य पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य-समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं, उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 20.09.2017 को रात्रि 18.00 बजे तक, ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें फर्जी भुगतान का मामला माना जाएगा और ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इन आवेदकों को ई-मेल के जिरए भी यह सूचित किया जाएगा कि वे आयोग को किए गए अपने भुगतान के प्रमाण की प्रति, ई-मेल में उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करें। आवेदकों को यह प्रमाण, उक्त ई-मेल भेजे जाने की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के जिरए आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उनका आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे किसी पत्राचार आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी महिला उम्मीदवारों को तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग ट्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है, बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों (शारीरिक रूप से विकलांग ट्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सिहत) के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले इन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग ट्यक्तियों को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी: आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु पात्र तभी माना जाएगा जब (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित किसी शारीरिक जांच के बाद) यह पाया जाता है कि वह सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के संबंध में शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

टिप्पणी-I : बिना शुल्क के प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-II : किसी भी परिस्थिति में, आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी नहीं होगी और न ही इस शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 फरवरी, 2017 में प्रकाशित की परीक्षा नियमावली (जिसकी प्रति संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है), जिसमें परीक्षा की विस्तृत योजना भी शामिल है, को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि आयोग, उम्मीदवारों द्वारा आवेदन-प्रपत्र की प्रविष्टियों में परिवर्तन के संबंध में भेजे गए किसी पत्र आदि पर विचार नहीं करेगा। अतः, वे आवेदन-प्रपत्र भरते समय विशेष सावधानी बरतें और इसमें सही जानकारियां भरें। आवेदन-प्रपत्र का कोई कालम खाली न छोड़ा जाए।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि कॉलम (2), 3(क), 3(ग), 3(इ.), 4, 5, 8 (क),10(क), 10(ग), 11, 12(क), 12(ख), 13(क), 13(ख), 18(क) तथा 18(ख) में प्रविष्टियां पहले से ही मौजूद (प्री-पॉप्यूलेटेड) हैं। ये प्रविष्टियां, उम्मीदवारों द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2017 के ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं। विस्तृत आवेदन पत्र के अंतर्गत इन कॉलमें में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार:-

- (i) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र में परीक्षा देता है ; अथवा
- (ii) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में परीक्षा देता है ;

तो उस उम्मीदवार के पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जएगा और उसकी उम्मीदवारी रदद की जा सकती है।

- 9. परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए ई प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जिसे वे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमित प्रदान की जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर, उम्मीदवार इसकी सावधानीपूर्वक जांच करके यह सुनिश्चित कर लें कि ई-प्रवेश पत्र पर मुद्रित विवरण सही है। यदि ई-प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि हो, तो आयोग को इसकी सूचना प्रदान करते हुए सही ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अनुरोध करें। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उन्हें किसी अन्य उम्मीदवार को जारी ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 10. उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के कॉलम 20 में, विभिन्न राज्य संवर्गों के लिए अपना वरीयता क्रम निर्दिष्ट करना होगा।
- 11. उम्मीदवारों द्वारा जो सूचना प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दी गई थी उसका मिलान प्रधान परीक्षा के आवेदन पत्र में दी जाने वाली सूचनाओं से किया जाएगा। जिन मामलों में गंभीर विसंगतियां पाई जाएगी, उन उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है।
- 12. प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक वही रहेंगे, जो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के लिए दिए गए थे।
- 13. भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2017 की नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत टिप्पणियों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र के साथ, अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रदद कर दी जाएगी।
- 14. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस परिवचन (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि आवेदन-प्रपत्र की घोषणा में छपा है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रदद की जा सकती है।

15. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी या निम्निलिखित किसी अन्य ऐसे अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता हो।

<u>परिशिष्ट-I</u>

## (क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणि	त किया जात	ा है कि श्री/	श्रीमती/कुमारी*				सुपुत्र/सुपुत्री	r* श्री		
जो गांव/ कस्ब	П*	जिल	ਗ/ਸਂਤਕ*		राज्य	/संघ	राज्य क्षेत्र	*		के/की*
निवासी हैं		अनुसूचित	जाति/जनजाति*	के/की*	<del>\$</del> ,	जिसे	निम्नलिरि	खेत के	अधीन	अनुसूचित
जाति/अनुसूचित	जनजाति* वे	के रूप में मा	न्यता दी गई है	:-						

```
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 @
[अन्सूचित जातियों और अन्सूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई प्नर्गठन अधिनियम,
1960; पंजाब प्नर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (प्नर्गठन)
अधिनियम, 1971, अन्सूचित जातियां और अन्सूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम
राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन)
अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित]
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @
<u>संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959, अनुसूचित जातियां तथा</u>
<u>अनुसचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित@</u>
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @
<u> संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @</u>
संविधान (पांडिचेरी) अनुसचित जातियां आदेश, 1964 @
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातिया आदेश, 1968 @
<u>संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @</u>
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @
<u>संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @</u>
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 @
%2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर च्के हैं।
        यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ----- ग्राम/करूबा* ----- ग्राम/करूबा
जिला/मंडल* ----- जो ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- जो ----- जो ----- जाति/
जनजाति∗ से संबद्ध हैं जिसे ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र⁺ में अन्सूचित जाति/जनजाति⁺ के
रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती* ------ को ----- को ------
द्वारा दिनांक ----- को जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।
%3 श्री/श्रीमती/क्मारी* ------ और/या* उनका परिवार आमतौर से ग्राम/कस्बा*-------
जिला/मंडल* ----- में रहते/रहती हैं ।
                                                                           हस्ताक्षर -----
                                                                      **पदनाम -----
                                                                            (कार्यालय की मोहर)
स्थान-----
राज्य/संघ शासित क्षेत्र*-----
तारीख -----
```

- \* जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें ।
- @ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें ।
- % जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें ।

नोट:-यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- \*\* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर ।

## (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो) ।

- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।
- (iv) उस इलाके का सब-डिविजनल आफिसर, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो ।
- (ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।

	प्रमाणित	किया	जाता	है	श्री/श्रीमर्त	ो/कुमारी*						सुप्	रुव/र	नुपुत्री*
श्री/श्रीम	ती					जिला/मं	ਤ <b>ल</b> *		वे	गांव/क	<b>म्बा</b> *			
राज्य/सं	घ राज्य	क्षेत्र*				के/की*	निवासी	<del>हैं</del>			समुदाय	के/की	<del>हैं</del>	जिसे
निम्नांवि	कत के अध	ीन अन्य	र पिछड़ी	श्रेर्ण	ो होने की	मान्यत	ा प्राप्त है	t :-			-			

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं012011/68/93-बी.सी.सी.(सी.)।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं012011/9/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं012011/7/95-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं012011/96/94-बी.सी. ।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं012011/44/96-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/99/94-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/13/97-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं012011/68/98-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं012011/88/98-बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं012011/36/99-बी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं012011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं012011/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं012011/1/2001- बी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं012011/4/2002-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं012011/9/2004-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं012011/14/2004- बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं012015/15/2008-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं012015/13/2010-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015- बी.सी.-II।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II ।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प
सं012011/06/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-
बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-
बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत
सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-
बी.सीII
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प
सं012011/04/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प
सं012011/06/2014-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प
सं012011/13/2016-बी.सीII ।
@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित
भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प
सं020012/01/2017-बी.सीII । श्री/श्रीमती/क्मारी* और/या उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल*
के गांव/कस्बा* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता
है कि वह $^*$ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक $8.9.1993$ के का.जा. सं $036012/22/93$ -स्था $0$
(एस.सी.टी.), दिनांक 9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.जा. सं036033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) और
दिनांक 27.05.2013 के का.जा. सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए
व्यक्तियों/वर्गों*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं है।
हस्ताक्षर
**पदनाम
(कार्यालय की मोहर)
स्थान
तारीख
(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा

(ख-1) भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले परिवचन का प्रारूप।

परिवचन

मैं ------ सुपुत्र/सुपुत्री श्री ----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -----एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ------ समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण
विभाग भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.जा. सं036012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के
अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी

घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 8.9.1993 के ऊपर संदर्भित का.ज्ञा. और दिनांक 19.3.2004 तथा दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था0 (आरक्षण) तथा दिनांक 27.5.2013 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गी \*(सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर से) संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर
उम्मीदवार का नाम
अनक्रमांक

नोट : अ.पि.व. उम्मीदवारों के बारे में का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 27.5.2013 में दिया गया क्रीमी लेयर से संबंधित खंड।

\* उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।

नोट: यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

\*\* अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम प्राधिकारी वही रहेंगे जो अ.जा./अ.ज.जा. के प्रमाण-पत्र जारी करने के लए सक्षम हैं।

## \*\*जो लागू न हों उसे काट दें।

- टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- टिप्पणी 3 :आयोग, सामान्यतः, उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अन्मति नहीं देगा।
- 16. उम्मीदवारों को ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अपलोड करना आवश्यक है, जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि दिनांक 22 फरवरी, 2017 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए उक्त परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (III) में और भारत के राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी, 2017 में प्रकाशित उक्त परीक्षा नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यता उसके पास है। अपलोड किया गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकरण(अर्थात् विश्वविद्यालय या कोई अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, जिसने उम्मीदवार को उक्त योग्यता प्रदान की हो।
- 17 (i) जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को उस जिला मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यतः रहा है या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अविध के दौरान वह सामान्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ही रहा।
- 17 (ii) आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे उम्मीदवार, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुए हैं, उन्हें महानिदेशक पुनःस्थापना, रक्षा मंत्रालय से निम्नानुसार निर्धारित फार्म में इस आशय के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि वे रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निम्नानुसार है:-

प्रमाणित किया जाता है कि रैंक सं नाम नाम नाम
यूनिट, रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु-देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में
फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।
हस्ताक्षर
पदनाम
दिनांक
*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें ।
्र (iii) कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों/आपातकालीन सेवा कमीशन
प्राप्त अधिकारियों सहित जिन पूर्व सैनिकों ने आयु सीमा में छूट का दावा किया है, उन्हें संबद्ध प्राधिकारियों से
निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में उन पर लागू होने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म
प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम नाम,
जिनकी जन्मतिथि है, ने से तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है और वह
निम्नलिखित शर्त को पूरा करते हैं:-
(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और वे सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर कार्यमुक्त हुए हैं,
न कि उन्हें कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त किया गया है।
(ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारण को
कार्यमुक्त हुए हैं।
स्थान:
तारीख:
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
(idia) mianti on the identity
пат
मुहर
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक हिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक हिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं।
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं।\ स्थान
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं ।\ स्थान
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक  नाम दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं ।\ स्थान दिनांक
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं ।\ स्थान
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंक  नाम दिनांक से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अविध पूरी करने वाले हैं ।\ स्थान दिनांक दिनांक  उपर्युक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित परिवचन प्रस्तुत करना होगा:-
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  #ें एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म  (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म  (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म  (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  #ें एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म  (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म  (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  #ें एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।  #ें एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं

(ग) उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अ	धिकारियों के मामले में लागू
प्रमाण-पत्र का फार्म, जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अविध पहले ही पूरी	कर ली है और नियुक्ति की
बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।	
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम	
जिनकी जन्मतिथि है,से थल सेना/नौसेना/ वायु सेना में र	मेवारत हैं।
2. उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर	
तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।	
3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन-पत्र देने के संबंध में कोई आपित	नहीं है तथा उनका चयन हो
जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर कार्यमु	<del>श्</del> त किया जाएगा।
सक्षम प्र	धिकारी का नाम और पदनाम
	मोहर
स्थान	
दिनांक	
प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं:-	
(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन	। सेवा कमीशन प्राप्त
अधिकारियों सहित) के मामले में :-	
थल सेनामिलिटरी सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	
नौसेना कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	
वायु सेना कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।	
(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में:-	
थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा ।	
नौसेना सी.ए.बी.एस., मुंबई ।	
वायु सेना वायु सेना रिकार्ड (एन.ई.आर.डब्ल्यू.), नई दिल्ली ।	
18. शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी का होने के कारण शुल्क में छूट/या आयु-सीमा	में छूट का दावा करने वाले
उम्मीदवार, निम्नानुसार दिए गए प्रारूप में चिकित्सा बोर्ड (केन्द्रीय या राज्य सरकार द	वारा गठित) द्वारा जारी किए
गए प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करेंगे:-	
<u> </u>	
<u>अशक्त व्यक्तियों द्वारा अशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेत् आ</u>	<u>वेदन-पत्र</u>
1. नाम	अक्षमता दर्शाता हुआ
(ਤपनाम) (प्रथम नाम) (ਸध्य नाम)	उम्मीदवार का
2. पिता का नाम	नवीनतम फोटोग्राफ,
माता का नाम	जो चिकित्सा बोर्ड के
3. जन्म तिथि/	अध्यक्ष द्वारा विधिवत
(तिथि) (माह) (वर्ष)	अनुप्रमाणित हो।
4. आवेदन के समय आयु :वर्ष	
5. लिंग : पुरुष/महिला	
6. पता :	
(क) स्थायी पता	
<del></del>	
<del></del>	
<del></del>	

(ख)	वर्तमान पता	(अर्थात् पत्राचार के लिए)
		<del></del>
(ग) वर्त	्र मान पते पर 1	निवास करने की अवधि
7. शैक्षा	णिक योग्यता	(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)
	(i)	स्नातकोत्तर
	(ii)	स्नातक
	(iii)	डिप्लोमा
	(iv)	हायर सेकेंडरी
	(v)	हाई स्कूल
	(vi)	मिडिल
	(vii)	प्राइमरी
	(viii)	अशिक्षित
8.	व्यवसाय	
9.	पहचान के चि	पेन्ह (i)
		(ii)
10.	अशक्तता की	प्रकृति : चलने में असमर्थ/श्रवण बाधित/ दृष्टि बाधित/ मानसिक/अन्य
11.	वह अवधि ज	ब से अशक्त हैं : जन्म से/वर्ष से
12.	(i) क्या आप	ने पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया हैहां/नही
	(ii) यदि हां,	तो विवरण दें :
	(क)किस	। प्राधिकारी और जिले में आवेदन किया है
	(ख)	आवेदन का परिणाम
13.	क्या आपको	पूर्व में कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि
	संलग्न करें।	
घोषणा	: मैं एतदद्वार	ा यह घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार
	सत्य हैं और	कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी
	घोषणा करता	करती हूं कि यदि मेरे आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई
	हो, जब्त कि	या जा सकता है और विधि के अनुसार मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
		बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा
		 मानसिक अशक्तता (मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म,
		प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और

एकाधिक अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में

उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा

बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

<u>दिनांक</u> :

<u>स्थान</u> :

संलग्नक :

निवास का प्रमाण (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

राशन कार्ड, (क) (ख) मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, (ग) बैंक पासब्क, (घ) पैन कार्ड, (ਤ.) पासपोर्ट. (च) (छ) टेलीफोन, विद्युत, जल और अन्य उपभोज्य बिल जिसमें आवेदक का पता लिखा हो, पंचायत, नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा संबंधित पटवारी अथवा किसी (ज) सरकारी स्कूल के हैडमास्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, अशक्त, निराश्रित, मानसिक रोग, आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निवास संस्थान के मामले में (耔) ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास प्रमाण पत्र पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटोग्राफ 2. (केवल कार्यालय उपयोग के लिए) जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक : स्थान : <u>प्रपत्र - IV</u> अशक्तता प्रमाण पत्र (फार्म II में उल्लिखित मामलों से अन्यथा) (प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) अशक्त व्यक्ति का वर्तमान पासपोर्ट आकार का स्व-अन्प्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो) प्रमाण पत्र सं. दिनांक : यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ जन्म तिथि \_\_\_\_ \_\_\_ (दिनांक/माह/वर्ष) प्त्र/पत्नी/प्त्री श्री \_\_\_\_\_ अयु \_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला \_\_\_\_\_ पंजीकरण सं.\_\_\_\_\_ स्थायी निवासी मकान नं. \_\_\_\_\_ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_ जिला \_\_\_\_

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		

संगत अशक्तता के सामने दर्शाया गया है:

राज्य \_\_\_\_\_\_ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मैं संतुष्ट हूं कि वह \_\_\_\_\_ अशक्तता से ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/अशक्तता के प्रतिशत की सीमा को आकलित किया गया है और नीचे तालिका में

3.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से			
4.	श्रवण बाधित	\$			
5.	मानसिक मन्दता	X			
6.	मानसिक व्याधि	X			
(कृपया उस अशक्तता को काट दें जो लागू नहीं हैं)					

4.	अवण बाायत	Ψ							
5.	मानसिक मन्दता	X							
6.	मानसिक व्याधि	X	X						
(कृपः	या उस अशक्तता को का	ट दें जो लागू नहीं हैं)							
2.	इस स्थिति के आगे अं	र बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में	मुधार होने/सुध	धार न होने की संभावना है।					
3.									
	(i) आवश्यक नहीं है,								
	अथवा								
	(ii) करने की अनुशंसा र्व	ो जाती है/ वर्षोंमाह	के उपरांत और	इसलिए यह प्रमाण पत्र					
	तक के लिए मान्य रहेगा	I		(तिथि) (माह) (वर्ष)					
@	उदाहरण बायां/दार	यां/दोनों हाथ/पैर							
#	एक आंख/दोनों अ	गंख							
\$	बायां/दायां/दोनों व	<b>ा</b> न							
4.	आवेदक ने अपने निवा	स के प्रमाण स्वरूप निम्नति	रेखित दस्तावे	ज प्रस्तुत किए हैं:-	_				
दस्त	ावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख		प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी					
				का विवरण					
		(	अधिसूचित वि	चेकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरव	ਮਨੀ)				
			•	(नाम और म	ोहर)				
				प्रतिहस्त	गक्षर				
	उस व्यक्ति के								
	हस्ताक्षर/अंगूठे का		{सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा						
	निशान जिसके नाम से		अधीक्षक						
	अशक्तता प्रमाण पत्र		प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर(मोहर सहित), उस स्थिति में						
	जारी किया गया है।		जब यह प्र	माण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा	जारी				
				किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नर्ह	तें है}				
टिप्पणी		ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्व	गरा जारी कि	या गया है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है	, तो				
	~ ~ ~ ~ ~ ~			<u> </u>					

तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।

**टिप्पणी** : मुख्य नियम, दिनांक 31 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 908(ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

19. सभी उम्मीदवारों को निम्नानुसार निर्धारित फार्मैंट में गृह घोषणा पत्र विधिवत भरकर उसकी स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी :

31 16113 47(411 (1411 .					
	गृह राज्य/ संघ श	ासित क्षेत्र संबंधी ध	वोषणा पत्र	त्र	
में,	_ पुत्र/पुत्री	, ए	तद्द्वारा	घोषणा करता/करत	ो हूं कि भारतीय
वन सेवा परीक्षा, 2017 हेतु	विस्तृत आवेदन प्रपत्र के	कॉलम सं. 3, 9,	15 एवं	18 में मेरे द्वारा वि	देए गए उत्तरों के
संबंध में मेरा स्थायी "गृह"_			_ (कस्बे	का नाम और पूरा	पता) है।
				हस्ताक्षर : _	
				नाम :	
				दिनांक :	

20. सभी या कुछ अनुलग्नकों को अपलोड किए बिना भरे गए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा बाद में भेजे गए किसी अनुलग्नक पर विचार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका आवेदन-प्रपत्र सही ढंग से भरा हुआ है और उसके साथ सभी संगत अनुलग्नक संलग्न हैं। उम्मीदवार के आवेदन को स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश हेतु उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

नोट : उम्मीदवार सारांश-पत्रक को केवल एक (सिंगल) पृष्ठ में ही भरें।

- 21. उम्मीदवार कृपया यह नोट करें कि आवेदन पत्र भरने और कोड नंबर का उल्लेख करने हेतु वे केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। केवल इन्हीं अंकों के जिरए भरे कोड नंबरों को स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और पठनीय हों। यदि कोई प्रविष्टि अपठनीय अथवा भ्रामक पाई जाती है, तो उसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि कोई संशोधन किया गया हो तो वह स्पष्ट होना चाहिए और उम्मीदवार द्वारा अन्प्रमाणित होना चाहिए।
- 22. गलत बयान अथवा उम्मीदवार की उम्मीदवारी के संबंध में गंभीर खामियों जैसे वैध कारणों से प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए जारी ई-प्रवेश पत्र को आयोग के विवेक पर रदद किया जा सकता है।
- 23. उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र के संबंध में आयोग को जो पत्र आदि भेजें, उनमें परीक्षा का नाम, अपना अनुक्रमांक, नाम, जन्म की तारीख तथा आरआईडी संख्या अवश्य लिखें।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उनके बदले हुए पते पर उन्हें मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा प्रयास करता है, परंतु इस विषय में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

- 24. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन प्रपत्र पर चिपकाए गए सभी फोटोग्राफ समरूप हैं। यदि किसी भी स्तर पर सत्यापन के दौरान प्रारंभिक परीक्षा और प्रधान परीक्षा के आवेदन प्रपत्र पर चिपकाई गई फोटो में कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 25. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थलों अर्थात उनके आवेदन प्रपत्र, परीक्षा हाल में, उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 26. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2017 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है तथा उनके द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते, तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
- 27. उम्मीदवार यह नोट कर लें कि प्रश्न-पत्र और उत्तर-पुस्तिका अलग-अलग प्रदान किए जाने के स्थान पर उन्हें समेकित प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग/उप भाग के नीचे उसका उत्तर लिखने का स्थान दिया गया होगा। उम्मीदवारों को यह प्रयास करना होगा कि वे अपने उत्तर, संबंधित प्रश्न के प्रत्येक भाग/उप भाग के नीचे दिए गए स्थान के भीतर ही लिखें। इस स्थान के बाहर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

## <u>अनुबंध</u>

## I. आवेदन का कालम 6 - नागरिकता संबंधी स्थिति

7	कोड	विवरण
-	1	- भारत का नागरिक
2	2	- नेपाल की प्रजा
3	3	- भूटान की प्रजा
4	4	- भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया
		ह्आ तिब्बती शरणार्थी।
į	5	- भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान,
		बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया,
		जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ
		हो।

## II. आवेदन प्रपत्र का कालम 11 - परीक्षा केंद्र

क्र. २	सं. केंद्र
1.	भोपाल
2.	चेन्नई
3.	दिल्ली
4.	दिसपुर (गुव
5.	हैदराबाद
6.	कोलकाता
7.	लखनऊ
8.	नागपुर
9.	पोर्ट ब्लेयर
10.	शिमला

## III- आवेदन प्रपत्र का कालम 12 (क) तथा (ख) - वैकल्पिक विषय

..... क्र.सं. वैकल्पिक विषयों की सूची 1. कृषि इंजीनियरी 2. पश्पालन व पश् चिकित्सा विज्ञान 3. वनस्पति विज्ञान 4. रसायन विज्ञान 5. 6. रसायन इंजीनियरी सिविल इंजीनियरी 7. 8. वानिकी भू-विज्ञान 9. 10. गणित 11. यांत्रिक इंजीनियरी भौतिकी 12. सांख्यिकी 13.

टिप्पणी (1):- उपर्युक्त सूची में से केवल दो वैकल्पिक विषयों का चयन करना है; एक प्रश्न पत्र III तथा IV के लिए तथा दूसरा प्रश्न पत्र V तथा VI के लिए ( जैसा कि प्रधान परीक्षा की योजना में उल्लिखित है)।

टिप्पणी (2):- उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों को एक साथ लेने की अनुमित नहीं होगी:-

- (क) कृषि और कृषि इंजीनियरी
- (ख) कृषि विज्ञान और पशुपालन व पशु चिकित्सा विज्ञान
- (ग) कृषि एवं वानिकी

14.

(घ) रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरी

प्राणि- विज्ञान

- (ङ) गणित और सांख्यिकी
- (च) इंजीनियरी विषयों, अर्थात कृषि इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी में से एक से अधिक विषय नहीं।
- टिप्पणी (3) :- सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने हैं। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे ।

\*\*\*\*\*\*\*

# UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE ONLINE DETAILED APPLICATION FORM

- 1. The Main Examination in the scheme of the Indian Forest Service (Main) Examination, 2017 will be held from 3<sup>rd</sup> December, 2017. The detailed Time Table of Examination will be made available along with the e-Admit Card.
  - 2. The Main Examination will be held at the following centres:—

## Bhopal, Chennai, Delhi, Dispur (Guwahati), Hyderabad, Kolkata, Lucknow, Nagpur, Port Blair and Shimla.

In the interest of coordinated and secured logistics, the Commission may not operate centres where the number of candidates is very low. In such cases, the Commission may allot nearest centres to the candidates. The decision of the Commission in this regard will be final and no further correspondence will be entertained from candidates.

- **3.** The centres and the dates of holding the Main Examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidate to the centre of his/her choice, the Commission may, at their discretion allot a different centre or a new centre that may be opened when circumstances so warrant. The decision of the Commission in this regard will be final and no further correspondence will be entertained from candidates.
- 4. The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to a single pdf file up to 2 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.
  - (I) Home State Declaration
  - (ii) Scanned copy of the certificate of age.
  - (III) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 7 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> February, 2017.
  - (IV) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Handicapped (wherever applicable).
  - (V) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix I.
  - (VI) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
  - (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim of age concession, wherever applicable.
  - (VIII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being physically handicapped (wherever applicable).

Originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 5. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the website <a href="https://www.upsc.gov.in">www.upsc.gov.in</a>.
- 6. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- Note 1: A candidate who holds a completed secondary school certificate need to upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.
- Note 2: Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation / higher secondary examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

#### **7. FEE**

Candidates applying (excepting Female/SC/ST/PH candidates who are exempted from payment of fee) for Indian Forest Service (Main) Examination are required to pay a fee of Rs.200/- (Rupees Two Hundred only) either by depositing the money in any Branch of SBI by cash, or by using Net Banking facility of State Bank of India or by using Visa/Master Credit/Debit card.

Applicants who opt for "Pay by Cash" mode should print the system generated Pay-in-slip during filling of payment module of Detailed Application Form and deposit the fee at the counter of SBI Branch on the next working day only. "Pay by Cash" mode will be deactivated at 23.59 hours of **19.09.2017** i.e. one day before the closing date;

however applicants who have generated their Pay-in-Slip before it is deactivated may pay at the counter of SBI Branch during banking hours on the closing date. Such applicants who are unable to pay by cash on the closing date i.e. during banking hours at SBI Branch, for reasons, whatsoever, even if holding valid pay-in-slip will have no other offline option but to opt for available online Debit/Credit Card or Internet Banking payment mode on the closing date i.e. till 18.00 hours of **20.09.2017.** 

For the applicant in whose case payments details have not been received from the bank, they will be treated as fictitious payment cases and a list of all such applicants shall be made available on the Commission's website within two weeks after the last day of submission of Online Detailed Application Form. These applicants shall also be intimated through e-mail to submit copy of proof of their payment to the Commission at the address mentioned in the e-mail. The applicant shall be required to submit the proof within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. In case, no response is received from the applicant, their application shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained in this regard.

All female candidates and candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Physically Handicapped categories are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

Physically Disabled Persons are exempted from the payment of fee provided they are otherwise eligible for appointment to the Services/Posts to be filled on the results of this examination on the basis of the standards of medical fitness for these Services/Posts (including any concessions specifically extended to the physically disabled). A physically disabled candidate claiming age relaxation/fee concession will be required by the Commission to submit along with his/her Detailed Application Form, a scanned copy of the certificate from a Government Hospital/Medical Board in support of his/her claim for being physically disabled as per norms.

**NOTE:** Notwithstanding the aforesaid provision for age relaxation/fee exemption, a physically disabled candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Services/Posts to be allocated to Physically Disabled candidates by the Government.

## NOTE-I: APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED) SHALL BE SUMMARILY REJECTED.

**NOTE II:** Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

**8.** Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination which include the detailed scheme of the examination, as published in the Govt. of India Gazette (Extraordinary) dated 22<sup>nd</sup> February, 2017 (copy can be downloaded from UPSC website). They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly. No column of the application form should be left blank.

Candidates should note that data at Column (2), 3(a), 3(c), 3(e), 4, 5, 8(a), 10(a), 10(c), 11, 12(a), 13(b), 13(b), 18(a) & 18(b) are pre-populated and have been taken from the

data filled up by the candidates at the time of filling up of on-line application form for Civil Services (Preliminary) Examination, 2017 and no change is permitted in any of these columns in the Detailed Application Form.

Candidates should also note that no request for change of centre will be entertained under any circumstances.

If any candidate appears,—

- (i) at a centre other than the one indicated by the Commission in his/her Admission Certificate; or
- (ii) in an optional subject other than the one indicated by the Commission in his/her Admission Certificate;

papers of such a candidate will not be evaluated, and the candidature will be liable to cancellation.

- 9. Candidates admitted to the examination will be given E-Admit Card which they will have to download from the Commission's website and which will permit them to take the examination. On obtaining the e-Admit Card, a candidate should check it carefully to ensure that the particular printed on the e-Admit Card are correct. In case, there is any mistake in the e-Admit Card, it should be brought to the notice of the Commission with a request to issue the correct e-Admit Card. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of e-Admit Card issued in respect of another candidate.
- **10.** Candidates are required to indicate in column 20 of the application form their order of preference for various State Cadres.
- **11.** The information given earlier by the candidate in the application form for the Preliminary Examination will be cross-checked with the information given by him/her in the application form for the Main Examination. If there are any serious discrepancies, candidates are liable to be refused admission to the Main Examination in such cases.
- **12.** The Roll No. of the candidate for the Main Examination will be the same as the Roll Number given to him/ her for the Preliminary Examination.
- **13.** Attention is invited to Notes under Rule 7 of the Rules for the Indian Forest Service Examination, 2017. All candidates who are declared qualified by the Commission for taking the Indian Forest Service (Main) Examination should upload scanned copy of proof of passing the requisite qualifying Examination along with their application for the Main Examination failing which such candidates will not be admitted to the Main Examination and their candidature will be cancelled.
- **14.** Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to upload a scanned copy undertaking (as in the Declaration printed in the Application Form) that they have informed in writing their Head of Office/ Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

**15.** A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or the Other Backward Classes (OBCs) should upload in support of his/her claim a scanned copy of a certificate in the form given below from the District Officer or the

Sub-Divisional Officer or any other Officer as indicated below, of the district in which his/ her parents (or surviving parent) ordinarily reside, who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956 (@.

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@

the Constitution(Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@.

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990@

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991@

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991@

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002@

The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002@

migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes
certificate* issued to Shri/Shrimati*
father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* of village/town*
in District/Division* of the State/Union
Territory* who belongs to the
caste/tribe*which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the
State/Union Territory issued by the
dated
%3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her*
family ordinarily reside(s) in village/town* of
District/ Division* of the State/Union Territory* of
Signature
**Designation
(With Seal of Office)
Place:
State/Union Territory *
Date:
*Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential order.
% Delete the paragraph which is not applicable.
<b>NOTE:</b> The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ OBC Certificates.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*  son/daughter* of Shri
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*  son/daughter* of Shri
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*  son/daughter* of Shri
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*  son/daughter* of Shri
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.  **List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.  (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/#Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).  (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate, Presidency Magistrate.  (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.  (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.  (B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.  This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*  son/daughter* of Shri

- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19.10.94, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.163 dated 20.10.1994.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.120l1/7/95-BCC dated 24.5.95, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.88 dated 25.5.1995.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 60 dated 11th March, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated 11th December, 1996.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-I, No.239 dated the 17th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 236 dated the 12th December, 1997.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.241 dated the 27th October, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 1201l/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.270 dated the 6<sup>th</sup> December, 1999.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.1201I/36/99-BCC dated the 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No.71 dated the 4th April, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated the 21st September, 2000.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 246 dated the 6th September, 2001.
- @Government of India. Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/I/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 151 dated 20th June, 2003.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.9 dated 13th January, 2004.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 10 dated 16th January, 2006.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 67 dated 12th March, 2007.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18<sup>th</sup> August, 2010 published in the Gazette of India

Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18<sup>th</sup> August, 2010.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11<sup>th</sup> October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12<sup>th</sup> October, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16<sup>th</sup> June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16<sup>th</sup> June, 2011.
- @Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/13/2010-BC-II dated the 08<sup>th</sup> December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08<sup>th</sup> December, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 17<sup>th</sup> February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17<sup>th</sup> February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14<sup>th</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14<sup>th</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27<sup>th</sup> May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27<sup>th</sup> May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14<sup>th</sup> July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15<sup>th</sup> July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09<sup>th</sup> September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09<sup>th</sup> September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25<sup>th</sup> May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26<sup>th</sup> May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15<sup>th</sup> June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30<sup>th</sup> June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the  $11^{th}$  August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the  $11^{th}$  August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06<sup>th</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07<sup>th</sup> December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22<sup>nd</sup> December, 2016.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution
No.20012/01/2017-BC-II dated the 18 <sup>th</sup> January, 2017 published in the Gazette of India
Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19 <sup>th</sup> January, 2017.
Shri/Shrimati/Kumari* and/ or* his/her* family
ordinarily reside(s) in village/town* of District/Division*
of the State/Union Territory* of This is
also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer)
mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of
Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993, O.M.
No.36033/3/2004-Estt. (res.) dated 9th March, 2004 and dated 14-10-2008 and O.M.
No.36033/1/2013-Estt. (Res.) dated 27 <sup>th</sup> May, 2013.
Signature
* *Designation
(with seal of office)
Place
Date
(B-1) The format of undertaking to be furnished along with the Detailed
Application Form by Other Backward Class candidates applying for
appointment to posts under the Government of India.
<u>UNDERTAKING</u>
I son/daughter of Shri resident
of Village/ Town/City District State/UT State/UT
hereby declare that I belong to the Community which is
recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of
reservation in services as per orders contained in Department of Personnel & Training
Office Memorandum No.36012/22/93-Estt(SCT) dated 8.9.1993. It is also declared that
I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the
Schedule to the above referred Office Memorandum, dated 8.9.1993 and O.M.
No.36033/3/2004-Estt (Res) dated 19.3.2004 and 14.10.2008 and O.M.
No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013 as amended from time to time.
Signature
Name of the Candidate
Roll No
Note: Creamy layer clause in respect of OBC candidates must be as per OM
No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27 <sup>th</sup> May, 2013.
*Please delete the words which are not applicable.
Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in
Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will

certificates. Strike out whichever is not applicable.

Note I: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe

- **Note 2:** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/ her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 3:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Preliminary Examination will ordinarily be allowed by the Commission.
- **16.** A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his/her educational qualification prescribed in Para 3(III) of the Notice for the Examination uploaded in the website of Commission on **22**<sup>nd</sup> **February**, **2017** and in Rule 7 of the Rules for the Examination published in The Gazette of India dated **22**<sup>nd</sup> **February**, **2017**. The certificate uploaded must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- 17(i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should upload a scanned copy of a certificate from the District Magistrate in the State of Jammu and Kashmir within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.
- 17(ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

in a disturbed a	rea ar	nd released as a	consequence there	eof.		
THE FORM OF	CER	TIFICATE TO B	<b>E PRODUCED BY</b>	THE CANDID	ATE IS :-	
Certified that I	Rank	No	Shr	i		of
Unit		was disa	bled while in the	Defence Service	es in opera	ations
	s with	n a foreign cou	ntry/in a disturbed			
		•		Signature	e	
					on	
				Date		
*Strike out v	whiche	ever is not applic	able.			
claiming age applicable to concerned.	conce the	ession should m, in the for	Commissioned upload a scanno m prescribed b	ed copy of the elow, from t	e certificat he author	te as rities
(A) FORM PERSONNEL.	OF	CERTIFICATE	APPLICABLE	FOR RELEA	ASED/RETI	(RED
It is cert	tified	that No	Rank	Name _		
whose date of b	oirth is	s has	rendered service	from	to	in
Army/ Navy/Air	Force	and he fulfils th	e following conditi	on –		

(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on
Station:  Date:
Signature and Designation of the Competent Authority SEAL
(B) FORM OF CERTIFICATE FOR SERVING PERSONNEL (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).
I hereby certify that, according to the information available with me No Rank Name is serving in the Army/Navy/ Air Force from and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date
Place : Date :
Signature of Commanding Officer Office Seal
Candidate furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:-
UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE:
I understand that if selected on the basis of the recruitment/ Examination to which this application1 relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to ex-servicemen in terms of the Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.  Signature of candidate
Place : Date :
(C) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR SERVING ECOs/SSCOs WHO HAVE ALREADY COMPLETED THEIR INITIAL ASSIGNMENT AND ARE ON EXTENDED ASSIGNMENT.
It is certified that No
Station:

Name and Designation of the Competent Authority

**SEAL** 

Authorities who are competent to issue certificate are as follows:-

(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/ SSCOs.

Army – Military Secretary Branch, Army Hgrs., New Delhi.

Navy – Directorate of Personnel, Naval Hgrs., New Delhi.

Air Force – Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.

(b) In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.

Army - By various Regional Record Offices.

Navy – CABS, Mumbai.

Air Force – Air Force Records NERW, New Delhi.

18. A candidate who has claimed age relaxation and/or fee exemption on account of his/her being physically challenged must upload a scanned copy of the certificate issued by a Medical Board duly constituted by the Central/ State in the format given below :-

## Form-I APPLICATION FOR OBTAINING DISABILITY CERTIFICATE BY PERSONS WITH **DISABILITIES**

1.	Name(Surname) (First name) (Middle name)		cent Photograph the candidate
2.	Father's Name Mother's Name	dis	owing the sability duly
3.	Date of Birth/ Date Month Year	Ch	tested by the lairperson of the ledial Board.
4. 5. 6.	Age at the time of application: Year Sex Male / Female Address: (a) Permanent address		odiai bodiai
	(b) Current address (i.e. for communication)		
7.	<ul> <li>(c) Period since when residing at current address</li> <li>Educational status (Pl. tick as application)</li> <li>(i) Post Graduate</li> <li>(ii) Graduate</li> <li>(iii) Diploma</li> <li>(iv) Higher Secondary</li> <li>(v) High School</li> <li>(vi) Middle</li> </ul>		

	(vii) Primary (viii) Illiterate	
8.	Occupation	
9.	Identification mark:	
	(i) (ii)	
10.	Nature of disability: Locomotor/ hearing/ visual/ mental/ o	thers
11.	Period since when disabled: From Birth/Since year	
12.	(i) Did you ever apply for issue of a disability certificate in t past	ne YES/NO
	(ii) If yes, details :	. 25,110
	(a) Authority to whom and district in which applied	······
13.	(b) Result of application	past? If yes, please enclose a
13.	true copy.	rast: 11 yes, picase chelose a
Decla	<b>laration :</b> I hereby declare that all particulars stated above knowledge and belief, and no material informa misstated. I further state that if any inaccuracy is shall be liable to forfeiture of any benefits derived	tion has been concealed or detected in the application, I
Dated	person wit guardian i retardatio	re or left thumb impression of the disability, or of his/her legal n case of persons with mental on, autism, cerebral palsy and multiple disabilities)
		manapie alsasinaes)
Place : <b>Encl</b> :		
	. Proof of residence (Please tick as applicable)	
	(a) Ration card,	
	<ul><li>(b) Voter identity card,</li><li>(c) Driving license,</li></ul>	
	(d) Bank passbook	
	(e) PAN card,	
	<ul><li>(f) Passport,</li><li>(g) Telephone, electricity, water and any other utility bill applicant,</li></ul>	indicating the address of the
	(h) a certificate of residence issued by a Panchayat, Mui	nicipality, Cantonment Board,
	<ul> <li>any Gazetted Officer or the concerned Patwari or Head</li> <li>(i) in case an inmate of a residential institution for perso mentally ill, etc., a certificate of residence from the hea</li> </ul>	ns with disabilities, destitute,
2.	. Two recent passport size photographs	
-	(For office use only)	
Dat	Date: Signatu	re of issuing authority
	5	tamp

## <u>Form - IV</u> DISABILITY CERTIFICATE

## (In cases other than those mentioned in Forms II) (NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP size self-attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

	Cort	ificat	e No.		Date :				
_								_	
			•		•			(um	
				_					
Date of	of Birt	h	)/ MM / Y	Age years, n	nale/female		Registration	No	
nerma	nent				Ward	l/ Vi	illage/Street		Post
-							_	, whose photograp	
								<b>_ Disability</b> . His	
								s per guidelines (to	
	•			gainst the relevant	•				
SI. No.		bility		Affected Part of Body	<u>-</u>	Pe im	rmanent phy	ysical mental disability	
1.	Loco	motoı	disability	@					
2.	Low	vision	]	#					
3.	Blind	ness		Both Eyes					
4.	Hear	ing Ir	npairment	\$					-
5.	Ment	al ret	ardation	X					
6.	Ment	al-illn	ess	X					
impro 3. (i)	The ave. Reass not r Or i) is recill	essm neces ecom	e conditient of discourse sary, amended/	sability is:  after years  Right/both arms	e/non-progress	sive/	ŕ	improve/not likely	
	#	S	ingle ey	e/both eyes					

The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Left/Right/both ears

4.

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned {Counter-signature and seal of the CMO/ Medical Superintendent/Head of Government Hospital, in case the certificate is issued by a medical authority who is not a government servant (with seal)}

Signature/Thumb impression of the person in whose favour disability certificate is issued.

**Note :** In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only in countersigned by the Chief Medical Officer of the District."

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908(E), dated 31<sup>st</sup> December, 1996.

19. All the candidates are required to upload a scanned copy of duly filled in Home Declaration Form as per format below:

# I \_\_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_\_ do, hereby, declare that having regard to answers given by me against columns 3,9,15 & 18 of the Detailed Application Form for Indian Forest Service Examination, 2017, my permanent "Home" is \_\_\_\_\_\_\_ (Name of town & complete address).

Signature; \_\_\_\_\_

20. Any application form received without all or some of the enclosures is liable to be summarily rejected. Any missing enclosures sent subsequently by the candidates will not be entertained. Thus candidates must ensure that the application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant enclosures. Commission's decision with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

## Note: Summary sheet to be submitted by the candidates should be in single page only.

21. Candidates must note that they use only international form of Indian numerals in the filling of the application form and writing the Code Number e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Only the Code Numbers as thus filled in will be taken into account. They should take special care to see that the entries made in the application form are clear and

legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof. Corrections if any should be legible and attested by the candidate.

- 22. Admit cards issued for admission to the Main Examination are liable to be cancelled, at the discretion of the Commission for valid reasons such as misrepresentation or serious deficiencies in the candidature of the candidate.
- 23. In all communication with the Commission regarding his/her application, the candidate should mention the name of the Examination, his/her Roll Number, Name, Date of birth and RID Number.

A candidate must see that communications sent to him/ her at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

- 24. Candidates are advised to ensure that all the copies of photographs affixed by them on the application form are identical. If, on verification at any stage any variation is found in the copies of Photographs affixed by a candidate on the application form for the Preliminary Examination and on the application form of Main Examination, his/her candidature will be liable to be cancelled by the Commission.
- 25. Candidates should also ensure that the signatures appended by them in all the places, viz. in their application form, on the attendance list in the examination hall and in all and there should be no variation of any kind. If any variation is found in the signatures appended by a candidate at different places, his candidature will liable to be cancelled by the Commission.
- 26. The candidates should note that their candidature for the Indian Forest Service Examination, 2017 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.
- 27. Candidates should note that instead of separate Question Paper and answer book, a consolidated Question Paper-Cum Answer book, having space below each part/sub part of a question shall be provided to them for writing the answers. Candidates shall be required to attempt answer to the part/sub part of a question strictly within the pre-defined space. Any attempt outside the pre-defined space shall not be evaluated.

**Annexure** 

#### **I -** Column 6 of the Application – CITIZENSHIP STATUS

Code Description

- 1 -a citizen of India.
- 2 -a subject of Nepal.
- 3 -a subject of Bhutan
- 4 -a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
- 5 -a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

## **II -** Column 11 of the Application Form – CENTRES OF EXAMINATION

.....

Sl. No.	Centre	
1.	Bhopal	
2.	Chennai	
3.	Delhi	
4.	Dispur (Guwahati)	
5.	Hyderabad	
6.	Kolkata	
7.	Lucknow	
8.	Nagpur	
9.	Port Blair	
10.	Shimla	

III - Columns 12 (a) and (b) of the Application Form — Optional Subjects

\_\_\_\_\_

Sl. No.	List of optional subjects
1.	Agriculture
2.	Agricultural Engineering
3.	Animal Husbandry & Veterinary Science
4.	Botany
5.	Chemistry
6.	Chemical Engineering
7.	Civil Engineering
8.	Forestry
9.	Geology
10.	Mathematics
11.	Mechanical Engineering
12.	Physics
13.	Statistics
14.	Zoology

**Note (1):** Only two optional subjects are to be selected from the above list one for Papers III and IV and the second for Papers V and VI (as given in the Plan of Main Examination).

Note (2): Candidates will not be allowed to offer the following combinations of subjects:

- (a) Agriculture and Agricultural Engineering;
- (b) Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary Science;
- (c) Agriculture and Forestry
- (d) Chemistry and Chemical Engineering;
- (e) Mathematics and Statistics;
- (f) Of the Engineering subjects, viz. Agricultural Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering and Mechanical Engineering, not more than one subject;
- **Note (3):** All the Question Papers must be answered in English. Question Papers will be set in English only.